



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 कार्तिक 1943 (श०)

(सं० पटना 892) पटना, शुक्रवार, 29 अक्टूबर 2021

सं० 06@i.ku 56@2021-3096

lgdkfjrk folkkx

ldYi

26 अक्टूबर 2021

विषय :- jkT; e vf/kikflr dk;l e lyXu lgdkjh lLFkkvk&iDl@0;kikj eMyk@ftyk dUnh;
lgdkjh cid@jkT; lgdkjh cid dk ic/kdh; vunku ,o xuhcix ifrifr vunku dh
jkf'k d Hkxrku dh if0;k e l'kk/ku dh Lohdfra

वर्ष 2017-18 में विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.12.2017 को राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को राज्य खाद्य निगम से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता के कारण प्रत्येक वर्ष आपूर्ति की गई चावल की मात्रा के अनुरूप रू० 10/- प्रति क्विंटल की दर से पैक्स/व्यापार मंडलों को तथा रू० 5/- प्रति क्विंटल की दर से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को तथा 0.50 रू० (पचास पैसे) प्रति क्विंटल की दर से राज्य सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या 948 दिनांक 19.03.2018 दी गई है इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 05.02.2019 (मद संख्या-12) के द्वारा राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों पैक्स/व्यापार मंडलों को पुराने गनीबैग मद में किसानों को रू० 25/- प्रति क्विंटल (धान) के भुगतान के लिए रू० 15/- प्रति क्विंटल (धान) की दर से प्रतिपूर्ति अनुदान के भुगतान की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या 701 दिनांक 07.02.2019 दी गई है।

प्रबंधकीय अनुदान (CMR के अनुरूप) की राशि समितियों के खाते में एकमुश्त स्थानांतरित करने हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको को प्रदान की जाती है। जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक के बदले राज्य सहकारी बैंक कार्य करता है, वहाँ भुगतान राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं के माध्यम से किया जाता है। गनीबैग प्रतिपूर्ति अनुदान की राशि का भुगतान सहकारिता विभाग द्वारा संबंधित पैक्स/व्यापारमंडलों को बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना के माध्यम से किया जाता है।

2. वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में पूर्व निर्धारित भुगतान प्रक्रिया के बदले उक्त दोनों मदों में राशि का भुगतान सभी लाभार्थियों को CFMS के अधीन "Payee" Create कर सीधे समेकित निधि से भुगतान किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में खरीफ विपणन मौसम, 2020-21 एवं उत्तरोत्तर वर्षों के लिए राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडलों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान मद की राशि तथा गनीबैग प्रतिपूर्ति अनुदान की राशि के भुगतान की पूर्व निर्धारित भुगतान प्रक्रिया में संशोधन कर पैक्स/व्यापारमंडलों को संबंधित जिले के जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से एवं बिहार

राज्य सहकारी बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मुख्यालय (कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना) द्वारा CFMS में "Payee" Create करते हुए समेकित निधि से सीधे समितियों/लाभार्थियों को भुगतान किया जायेगा।

3. उक्त प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.07.2021 (कार्यवाही निर्गत ज्ञापांक 227 दिनांक 13.07.2021) द्वारा अनुशंसा प्राप्त है।

4. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन (संचिका संख्या-06/पणन (सं.) 56/2021-पृष्ठ-29/टि.) प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 892-571+20-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>